तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले समाज के कमजोर वर्गों को अपने अन्तर्गत लाने का है। देश में, इस साम्य विद्यमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 2,47,470 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आम तौर पर खाद्यान्नों, चीनी, खाद्य तेलों, नियंत्रित कपड़ों तथा मिट्टी के तेल का वितरण किया जाता है। सरकार देश में इस प्रणाली को सुदृढ़ बनाने तथा इसे पुनर्जीवित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशों से प्राप्त ऋण में से माल का खरीदा जाना

753. **श्री मूल चन्द डागा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जो भारत को इस शर्त पर ऋण देते हैं कि वह इस ऋण से उस देश से माल खरीदेगा:

(ख) क्या इन वस्तुओं को उस समय विद्यमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से डेढ़ अथवा दो गुने मूल्यों पर माल खरीदा जाता है;

(ग) क्या ऐसा इस कारण से है कि सार्वजनिक उपक्रमों में पूंजी निवेश तथा सामान्य लागत अपेक्षाकृत अधिक है जिसमें उनमें घाटा होता है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस कारण घाटा न होकर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मगन भाई बरोट): (क) जो देश इस शर्त से बंधे हुए ऋण देते हैं कि वस्तुएं तत्संबंधी देशों से मंगानी होंगी वे देश आस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चेकोस्लोवाकिया, डेनमार्क, फ्रांस, इटली और सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की दशा में ऐसा प्रतिबंध थोड़े से मामलों में ही लगाया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा चांदी का जब्त किया जाना

754. **श्री मूल चन्द डागा:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा गत 6 महीनों में भारत से बाहर तस्करी को जा रही कितनी चांदी जब्त की और उसका मूल्य क्या है;

(ख) चांदी की भारत से बाहर तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) चांदी के बदले में भारत में तस्करी से लाई जा रही वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मगन भाई बरोट): (क) दिसम्बर, 1979 से मई, 1980 तक की अवधि के दौरान सीमाशुल्क अधिकारियों ने भारत से तस्कर निर्यात की जा रही लगभग 7.27 करोड़ रुपये मूल्य की कुल लगभग 22.57 मीट्रिक टन चांदी पकड़ी।

(ख) भारत से चांदी का तस्कर-निर्यात रोकने के लिए, तस्करी के लिए सुगम सभी क्षेत्रों में, जिनमें हवाई अड्डे भारत का पश्चिमी समुद्रतट और भू-सीमाएं शामिल हैं, तस्करी निवारक कार्यवाहियां तेज कर दी गई हैं। सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अध्याय 4-ख के उपबन्धों में निहित, चांदी रखने, लाने ले जाने और बेचने संबंधी नियामक उपबंधों को, जो पश्चिमी समुद्रतट और तमिलनाडु तथा पाण्डिचेरी के समुद्रतट के साथ साथ 50 किलोमीटर की पट्टी पर पहले ही लागू थे। अब 27 मार्च, 1980 से भारत-पाकिस्तान और भारत-नेपाल सीमाओं के साथ-साथ 50 किलोमीटर की पट्टी पर भी लागू कर दिया गया है।

(ग) सरकार को मिली रिपोर्टों के अनुसार, देश में चोरी-छिपे लायी जाने वाली मुख्य मदें ये हैं:-- कलाई घड़ियां, संश्लिष्ट वस्त्र और इलैक्ट्रानकीय माल।